





कार्यस्थल पर आंतरिक समिति एवं जिला स्तर पर स्थानीय समिति है जरुरी

प्रत्येक कार्यस्थल पर एक समिति गठित करना आवश्यक है ।

अगर संगठन में कोई महिला

नहीं है तो ?

वहाँ समिति का गठन हेतु अन्य कार्यालयों अथवा कार्यस्थल की प्रशासनिक इकाईयों से पीठासीन अधिकारी मनोनीत किया जायेगा। यदि कार्यस्थल के अन्य कार्यालयों या प्रशासनिक इकाइयों में वरिष्ठ स्तर की महिला कर्मचारी नहीं है, तो पीठासीन अधिकारी को उसी नियोक्ता के अन्य विभाग या संस्था या किसी अन्य कार्यस्थल से नामित किया जाएगा।



आंतरिक समिति (आईसी)

प्रत्येक संगठन/विभाग को कम से कम पांच सदस्यों वाली एक आंतरिक सिमिति (आईसी) का गठन करना अनिवार्य है। इस सिमिति की अध्यक्ष संगठन/विभाग में विरष्ठ स्तर पर कार्यरत महिला होगी। इस सिमिति के आधे सदस्य महिलायें होगीं और एक बाहरी सदस्य होंगे किसी एनजीओ से विशेषकर जो महिलाओं के मुद्दों/ या उनकी बेहतरी के लिए कार्य करते हो या जिनके पास सामाजिक कार्य का अनुभव हो या कानूनी ज्ञान हो।

स्थानीय समिति (एलसी)

राज्य सरकार हर जिले में जिलाधिकारी/ अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/ डिप्टी कलेक्टर को जिला अधिकारी के रूप में अधिसूचित करेगी, जो एक स्थानीय समिति (एलसी) का गठन करेंगे ताकि असंगठित क्षेत्र या छोटे प्रतिष्ठानों में महिलाओं को एक यौन उत्पीड़न से मुक्त वातावरण में काम करने का अवसर मिल सके।



किसी विशेष जिले में एलसी का पता लगाने के लिए



- जिला पदाधिकारी कार्यालय से सम्पर्क करें
- अपने जिले/राज्य में कार्यरत वन स्टॉप सेंटर/महिला हेल्पलाइन (१८१, १०० आदि के माध्यम से टोल फ्री) से संपर्क करें
- राज्य महिला आयोग से संपर्क करें
- राज्य के महिला एवं बाल विकास विभाग/महिलाओं के मुद्दों की देखभाल करने वाले विभाग से संपर्क करें

संगठन/जिले में आईसी/ एलसी का गठन न करने

पर रु. 50,000/- जुमनि का दंड है

बार-बार समिति का गठन नहीं करके नियम का उल्लंघन करने वालों को व्यावसायिक गतिविधियों को करने के लिए आवश्यक लाइसेंस/पंजीकरण को रद्द करके /वापस लेकर दंडित किया जाएगा।





बराबरी और सम्मान,

हो हर कार्यस्थल की पहचान

